

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी:-विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या:-05/2020

1. श्री सुरजभानसिंह पिता गोविंद सिंह जाति झाला निवासी लालपुरा तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

— अप्रार्थी

प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत 136 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:- श्री रामप्रसाद जणवा - अभिभाषक वादी

निर्णय

दिनांक 07.07.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा ग्राम लालपुरा पटवार हल्का चान्दोली के खाता संख्या 138 पर खसरा नं0 389, 407, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 442, 707, 714, 722, 728, 729, 730, 731, 744, 763, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 817 कुल कित्ता 52 कुल रकबा 26.92 हेक्ठो पूर्व में श्रीमती सुरजकुंवर पत्नी विजयसिंह राजपुत निवासी दलपतसिंहजी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ के नाम दर्ज थी विजयसिंह के कोई आल ओलाद नहीं थी विजयसिंह की मृत्यु सुरजकुंवर से पूर्व हो गई थी और विजयसिंह जी की एक मात्र वारिश उनकी पत्नी सुरजकुंवर ही थी। एवं विजयसिंह की मृत्यु के बाद सुरज कुंवर प्रार्थी सुरजभानसिंह के साथ ही रह रही थी और प्रार्थी ने ही सेवा चाकरी की थी। यह कि उक्त आराजी श्रीमती सुरज कुंवर ने अपने जीवन काल में ही प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 06.03.1997 को वसीयत कर दी थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने सुरज कुंवर की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात का नामान्तरण करते वक्त वसीयत के आधार पर करने के बजाय गोदी पुत्र के हैसीयत से नामान्तरण

D



- मृत कर दिया जिससे सहवन से सुरजभान सिंह पुत्र गोविन्द सिंह के बजाय सुरजभान सिंह दत्तक पुत्र विजय सिंह दर्ज हो गया है जिसे सुधारा जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार छोटीसादड़ी से जवाब तलब किया गया जिससे उक्त प्रार्थना पत्र में रिकार्ड एवं वसीयत अनुसार शुद्धि किया जाना उचित बताया गया तथा पत्रावली में पटवार हल्का चान्दोली से रिपोर्ट ली गई। पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि खाता संख्या 138 खसरा संख्या 389,407,416,417,418,419,420,421,422,427,428,430,431,432,433,435,436,438,439,440, 442,707,714,722,728,729,730,731,744,763,765,766,767,769,770,771,791,792,793,794, 795,796,797,798,799,805,806,807,808,809,810,817 कुल किता 52 कुल रकबा 26.92 हेक्0, सुरजभान सिंह दत्तक पुत्र विजय सिंह दर्ज है एवं मृतक खातेदार श्रीमती सुरज कुंवर पत्नी स्व. श्री विजय सिंह राजपूत ने दिनांक 06.03.1997 को वसीयतनामा रजिस्टर्ड कराया गया था एवं प्रार्थी के आधार कार्ड बिजली के बिल आदि में पिता का नाम गोविंद सिंह दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सुरजभान सिंह दत्तक पुत्र विजय सिंह के बजाय सुरजभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
 3. पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया संलग्न दस्तावेजों पर मनन किया गया प्रार्थी के आधार कार्ड बिजली के बिल आदि में पिता का नाम गोविंद सिंह दर्ज है जबकि वसीयत एवं जमाबन्दी में पिता का नाम विजय सिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में सुरजभान सिंह दत्तक पुत्र विजय सिंह के बजाए सुरजभान सिंह पुत्र गोविन्द दत्तक पुत्र विजय सिंह किया जाना न्यायोचित है।
 4. फलत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार मौजा लालपुरा पटवार हल्का चान्दोली के खाता संख्या 138 में खसरा संख्या 389,407,416,417,418,419, 420,421,422,427,428,430,431,432,433,435,436,438,439,440,442,707,714,722,728,729, 730,731,744,763,765,766,767,769,770,771,791,792,793,794,795,796,797,798,799,805, 806,807,808,809,810,817 कुल किता 52 कुल रकबा 26.92 हेक्0 में सुरजभान सिंह दत्तक पुत्र विजय सिंह के बजाय सुरजभान सिंह पुत्र गोविन्द सिंह दत्तक पुत्र विजय सिंह रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी जिला - प्रतापगढ़

